

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत जिला कलक्टर

मुकाम

नागौर

प्रार्थी  
राकेश भाकल पुत्र बलदेवराम जाति  
जाट निवासी भाकरोद तहसील व  
जिला नागौर

बनाम

अप्रार्थी  
महेन्द्र ईनाणिया उचित मूल्य दुकानदार,  
भाकरोद तहसील व जिला नागौर राज0

किस्म मुकदमा केवियट प्रार्थना पत्र

संख्या

47/2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
21.09.21	<p>वकील प्रार्थी ने धारा 147अ, सी.पी.सी के तहत जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 32/2021 राज0सरकार बनाम महेन्द्र ईनाणिया उ.मू.दु. भाकरोद में पारित निर्णय दिनांक 18.08.2021 के विरुद्ध यह केवियट प्रार्थना पत्र दिनांक 07.09.2021 को न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र के साथ वकील प्रार्थी ने स्वयं/प्रार्थी केवियटकर्ता का नोटिस तलबाना पेश नहीं करने पर वकील प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को कमी पूर्ति में रखा गया। बावजूद इंतजार के वकील प्रार्थी कमी पूर्ति हेतु उपस्थित नहीं हुए है। जिस पर आज प्रार्थी एवं वकील प्रार्थी को नियमानुसार बार-बार आवाजें लगवाई गई। परन्तु प्रार्थी अथवा वकील प्रार्थी न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं हुए है। अतः वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के साथ वकील प्रार्थी स्वयं/प्रार्थी केवियटकर्ता का नोटिस तलबाना पेश नहीं करने के कारण वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र संधारण योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो एवं फेसल शुमार होकर नम्बर से होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>(डॉ० जितेन्द्र कुमार सोनी) जिला कलक्टर, नागौर</p>	

